न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 26/21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/122

उनवान

1. विमला देवी उम्र 55 साल पत्नि गोपीचन्द जाति जाटव निवासी विरहठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामदयाल पुत्र सूखा जाति जाटव निवासी कुन्देर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. रामपती पुत्री सूखा पत्नि गिरधर जाति जाटव निवासी मलाह तहसील भरतपुर।
3. फूलदेई पुत्री सूखा पत्नि रामलाल जाति जाटव हाल पत्नी विजय सिंह जाति जाटव निवासी मलाह तहसील भरतपुर।
4. सुशीला पत्नी शिव सिंह जाति जाटव निवासी डावली तहसील किरावली जिला आगरा।
5. ढकेली पुत्री सूखा पत्नि मुन्नी लाल जाति जाटव निवासी डावली तहसील किरावली जिला आगरा।
6. बहादुर सिंह पुत्र सूखाराम जाति कोली निवासी सेवर रोड गांधी नगर भरतपुर।
7. बादाम सिंह पुत्र पंगाराम जाति जाटव निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. अमृतलाल पुत्र चैतुआराम जाति जाटव निवासी सेवला तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 11.01.2021 उनवान विमला देवी बनाम रामदयाल मु0न0 27/10

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मनोज सोंलकी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महेन्द्र भूषण शर्मा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र में अंकित विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार प्रार्थिनी अपीलाण्ट व उसके पति गोपीचन्द बीस वर्ष से लगातार चले आ रहे हैं तथा शेष 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार तरतीवी प्रतिवादी हैं। उक्त आराजी के चारो तरफ से डौल मेड हो रही है। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी को अपने नाम कराकर अप्रार्थी रैस्पो0 संख्या 6 को विक्रय कर दिया। उक्त अवैध वयनामा के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित भूमि अपीलाण्ट के पति की क्रय शुदा आराजी है। जिसका नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका है एवं जमाबन्दी में भी अमल हो गया। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने पुनः पूर्व खातेदार (विक्रेता) के नाम विवादित आराजी का अंकन कर दिया। पूर्व खातेदार ने सन् 1997 में नये नम्बर 14 व 15 जिसका पुराना खसरा नम्बर 74 है को उक्त गलत इन्द्राजो का लाभ लेते हुये, पुनः बहादुर कोली को बेचान कर दिया। तत्पश्चात् दोंनों पक्षो की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसमें दिनांक 20.11.2006 को अपीलाण्ट को दोष मुक्त कर दिया। इसी प्रकरण में मूल रजिस्ट्री की जिल्द जो थाना उच्चैन में भेजी गयी थी। वह अभिलेखागार को वापस नहीं लौटाई गयी, जो गायब है। उसका प्रकरण सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इसी असली वयनामा को रैस्पो0 फर्जी बताते हैं। नामान्तकरण की अपील प्रतिवादी द्वारा की गयी, जो यह कहकर खारिज करा ली की वह अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस प्रकार नामान्तकरण यथावत रहा। सुक्का के पुत्र रामदयाल के खिलाफ विवादित भूमि की रीलिज डीड कराने के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलाण्ट ने कराई, जिसका वाद विचाराधीन है। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2019 अनुसार अपीलाण्ट के मकान बने हुये हैं व फसल गोपीचन्द द्वारा बोई बतायी गयी है। अतः विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित है। विवादित आराजी बाबत् एक अन्य मुकदमें जो सिविल कोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन हैं उनमें स्थगन जारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट के नाम कोई रिकार्ड नहीं है एवं ना ही उनके पास विक्रय पत्र ही है। गोपीचन्द अभी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जीवित हैं। परन्तु अपील विमला देवी द्वारा की गयी है। गोपीचन्द द्वारा विमला देवी के पक्ष में कोई मुख्त्यारनामा भी नहीं है एवं ना ही गोपीचन्द कोई नाबालिग अथवा मानसिक रूप से बीमार है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नहीं है। विमला देवी द्वारा दावा पेश करने का असली कारण पूर्व में गोपीचन्द द्वारा किये गये दावे में कोई सफलता नहीं मिलना है। एफएसएल रिपोर्ट में वयनामा में अंगूठा निशानी नहीं मिले हैं। मूल विक्रय पत्र व एफएसएल रिपोर्ट दोनों पत्रावली नहीं मिली हालांकि इसमें अपीलाण्ट के पति गोपीचन्द बरी हो गये। सिविल कोर्ट में विचाराधीन दावो में दोनों पक्षो को जो यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी हुआ है। वह अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं माना जा सकता है। कब्जा हेतु 183 बी का दावा अपीलाण्ट द्वारा गिर्राज, किशोर, रामधन के खिलाफ किया था, जो खारिज हो गया। उक्त आदेश की अपील भी हुयी वह भी खारिज हो गयी एवं विवादित आराजी पर कब्जा भी नहीं माना। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी बाबत् अन्य मुकदमें जो सिविल कोर्ट एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में विचाराधीन हैं, में विवादित आरजी बाबत् स्थगन जारी होना कथन करते हुये, हस्तगत अपील में भी अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। दौराने बहस रैस्पो0 ने इस आपत्ति पर ज्यादा बल दिया कि अपीलाण्ट विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार नहीं है। उनका पति गोपीचन्द अभी जीवित हैं। परन्तु उनके द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमने गौर किया। अपीलाण्ट स्वयं स्वीकारती है कि विवादित आराजी उनके पति की क्रय शुदा आराजी है। यदि विवादित आराजी बाबत् उनको कोई उज्र था तो अपीलाण्ट के पति गोपीचन्द द्वारा ही दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा ना करते हुये, अपीलाण्ट (पत्नि) द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट के पति की मानसिक स्थिति खराब हो/अस्वस्थ मन हो या फिर उनके पति की ओर से अपीलाण्ट को कोई मुख्त्यारनामा दिया हो। उक्त दस्तावेजो के अभाव में अपीलाण्ट को दावा अथवा अपील प्रस्तुत करने के कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)